दिनांकः 22.09.2014

प्रदेश के 05 निजी मेडिकल कालेजों में वर्ष 2014–15 में प्रवेश देने के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में प्रेस–विज्ञप्ति

- रिट याचिका संख्या–469/2014 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2014 को पारित अन्तरिम आदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में शैक्षणिक सत्र 2014–15 में प्रवेश लेने हेतु इस शर्त के अधीन अनुमति दी गयी है कि इन मेडिकल कालेजों द्वारा एम0सी0आई0 के समस्त मानकों की पूर्ति के सम्बन्ध में वचनबद्धता एम0सी0आई0 तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध करायी जाएगी।
- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह आदेश मात्र ऐसे कालेजों के लिये किया गया है जिन्होंने वर्ष 2014–15 में नवीनीकरण की अनुमन्यता हेतु एम0सी0आई0 को आवेदन किया है, परन्तु इस वर्ष से संचालन हेतु प्रस्तावित नये कालेजों में इस आदेश के अन्तर्गत प्रवेश की अनुमति नही होगी।
- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि यह प्रवेश राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी मेरिट–लिस्ट के अधार पर ही किये जायेगें तथा ऐसे प्रवेशित छात्रो से राजकीय मेडिकल कालेजों की भांति शुल्क लिया जाएगा।
- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त अन्तरिम आदेश के अन्तर्गत यह भी निर्देश दिये गये है कि इन कालेजों में प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार की काउन्सिलिंग नही करायी जाएगी तथा कालेजों द्वारा समस्त प्रवेश प्रकिया दिनांक 30 सितम्बर, 2014 तक पूर्ण करते हुए प्रवेशित छात्रों की सूची कालेज द्वारा उच्चतम न्यायालय को दिनांक 01.10.2014 को उपलब्ध करायी जाएगी।
- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित यह आदेश प्रदेश के 05 निजी मेडिकल कालेजों पर प्रभावी है, जो निम्नलिखित हैः–
  कैरियर मेडिकल कालेज, लखनऊ, सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ, मेयो मेडिकल कालेज, बाराबंकी, रामा मेडिकल कालेज, हापुड़ एवं रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज, बरेली ।
- जो छात्र उक्त 05 मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु इच्छुक है, को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में महानिदेशालय की वेबसाईट www.updgme.in का नियमित अवलोकन करते रहें।